0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश



क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2022 / **1 6.2** प्रति भोपाल, दिनांक.03:022022

- 1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।

विषय- अंर्तराष्ट्रीय आगमन संबंधी पुनरीक्षित दिशा-निर्देश।

- संदर्भ— 1. संचालनालयीन आदेश क्र. कोविड—19/आई.डी.एस.पी./2022/34 भोपाल, दिनांक 08.01.2022
 - 2. Dated the 20th January 2022, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के "Guildelines for International Arrivals, in supersession of all guidelines issued on the subject on and after 7th November 2021

---00----

पृष्ठभूमि:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वैश्विक महामारी कोविड के वर्तमान परिदृश्य में SARS-COV-2 Virus के निरंतर होने वाले म्यूटेंशन के कारण Variants of Concern की उत्पत्ति के कारण सतत् निगरानी की आवश्यकता है। वर्तमान में प्रचलित दिशा—निर्देश Risk-Based Approach पर आधारित है। मारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के "Guildelines for International Arrivals, in supersession of all guidelines issued on the subject on and after 7th January 2022 अनुपालन में पूर्व में जारी आदेश संचालनालयीन आदेश क्र. कोविड—19/आई.डी.एस.पी./2022/34 भोपाल, दिनांक 08.01.2022 को अधिकमित करते हुए अर्न्तराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन एवं कोविड—19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निम्नानुसार दिशा—निर्देश जारी किये जाते है।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, होम आइसोलेशन तथा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। स्कोप:--

यह दस्तावेज अंर्तराष्ट्रीय यात्रियों की Risk Profiling तथा एयरलाइंस के लिए मानक संचालन प्रक्रिया हेतु प्रवेश के बिंदु (हवाई अड्डे, और भूमि सीमा) हेतु निर्देश प्रदाय करता है।

अंर्तराष्ट्रीय यात्रियों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का दस्तावेज 22 जनवरी 2022 से लागू होगा तथा आगामी आदेश तक जारी रहेगा। Risk Assessment पर आधारित इस दस्तावेज का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा।

A.1. अंर्तराष्ट्रीय यात्रा के नियोजन के पूर्व -

i. भारत में आगमन के पूर्व समस्त अंर्तराष्ट्रीय यात्रियों द्वारा स्व—घोषणा पत्र ऑनलाईन पोर्टल (https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration) पर नियोजित आगमन दिनांक के न्यूनतम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी और अन्यथा घोषणा असत्य पाए जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा।

- ii. पोर्टल में अन्डरटेकिंग भी देना होगा कि अंर्तराष्ट्रीय आगमन के उपरान्त यात्री द्वारा प्रोटोकॉलानुसार अनिवार्यतः क्वारंटाईन का पालन किया जायेगा।उक्त अवधि के दौरान यात्री द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की जाए।
- iii. पूर्व के दिशा—निर्देशों के अनुसार कुछ निर्दिष्ट देशों के यात्री की पहचान (उन देशों में COVID—19 की Epidemiological Situation की स्थिति पर आधारित) करते हुए अतिरिक्त फॉलोअप कार्यवाही की जाना है। इनमें पैरा (XViii) में वर्णित अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता शामिल है। ऐसे निर्दिष्ट देशों की सूची COVID—19 की स्थिति के आधार पर परिवर्तनशील है। यह सूची स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट, विदेश मंत्रालय तथा Air Suvidha portal पर उपलब्ध होगी।
- iv. जिन यात्रियों को आगमन उपरांत टेस्ट की आवश्यकता है, उनके द्वारा त्वरित परीक्षण हेतु एयर सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग की जानी चाहिए।

A.2. बोर्डिंग के पूर्व पालन हेतु निर्देश—

- v. एयर लाइन द्वारा At Risk देशों से आने वाले अथवा पारगमन करने वाले यात्रियों को सूचित किया जाएगा कि आगमन पर उनकी जांच की जायेगी। रिपोर्ट नेगेटिव पाये जाने पर Quarantine, किया जाएगा। यदि रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव जाती है, पैरा (Xviii) में वर्णित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।
- vi. टिकेट के साथ अंर्तराष्ट्रीय यात्रियों को संबंधित एयरलाइनों / एजेंसियों के द्वारा क्या करें – क्या न करें (Dos and Don'ts) संबंधी निर्देश दिये जायेंगे।
- vii. एयरलाइंस केवल उन्हीं यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमित देगी जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा हो एवं एयर सुविधा पोर्टल पर और नेगेटिव आरटी—पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड की हो।
- viii. हवाई मार्ग / समुद्री मार्ग से यात्रा हेतु बोर्डिंग के पूर्व थर्मल जांच (Thermal Screening) में लक्षण रहित पाये गये यात्रियों को ही बोर्डिंग की अनुमित दी जायेगी।
- ix. समस्त अंर्तराष्ट्रीय यात्रियों को उनके मोबाईल डिवाईस पर "आरोग्य सेतु" एप डाउनलोड करने का परामर्श दिया जाए।

A.3. यात्रा के दौरान पालन हेतु निर्देश-

- x. कोविड—19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए बरती जाने वाली सतर्कताओं के संबंध में आवश्यक घोषणायें यात्रा के दौरान एवं हवाई अड्डों एवं जहाज बंदरगाहों पर सुनिश्चित की जाए।
- xi. उड़ान के दौरान क्रू— मेम्बर्स द्वारा COVID उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- xii. यदि कोई यात्री उड़ान के दौरान COVID—19 के लक्षणों की रिपोर्ट करता है, तो उसे प्रोटोकॉल अनुसार Isolate किया जाए।
- xiii. एयरलाइन द्वारा उड़ान के दौरान जांच की आवश्यकता तथा ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्हें जांच की आवश्यकता है, उन्हें भीडभाड़ वाले क्षेत्र से बचने की सलाह के विषय में घोषणाएं की जायेंगी।

A.4. अंर्तराष्ट्रीय आगमन पर पालन हेतु निर्देश-

- xiv. डी-बोर्डिंग करते समय सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जाए।
- xv. Airport पर उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा समस्त यात्रियों की धर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। ऑनलाईन भरे गये स्व—घोषणा पत्र की भौतिक प्रति का पोर्ट पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा परीक्षण किया जाए।
- xvi. स्क्रीनिंग के दौरान लक्षणयुक्त यात्रियों को तत्काल आईसोलेट किया जायेगा एवं स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित चिकित्सकीय संस्थानों में ले जाया जायेगा। यदि कोविड—19 टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है, तो उनके संपर्कों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा। (Suspected Covid-19 रोगी के Contacts एक ही पंक्ति में बैठे सह—यात्री, सामने 3_पंक्तियाँ और 3 पंक्तियाँ पीछे तथा संपर्क में आये केबिन क्रू होगें। होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान पॉजिटिव पाये गये यात्रियों के सभी संपर्कों को संस्थागत क्वारंटाइन करते हुए आईसीएमआर प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किया जाए।)
- xvii. उपरोक्तानुसार पैरा (iii) एवं (iv) में वर्णित कोविड—19 At Risk में निर्दिष्ट देशों के यात्री निम्नानुसार प्रोटोकॉल का पालन करेंगे
 - a. जो यात्री आगमन के बाद स्व—भुगतान कर COVID—19 परीक्षण के लिए सैंग्पल जमा करेंगे, वे रिपोर्ट आने तक हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा करेंगे। ऐसे यात्री परिणाम प्राप्त होने के उपरांत प्रोटोकॉल अनुसार हवाई अड्डे से बाहर या कनेक्टिंग फ्लाइट हेतु प्रस्थान करेंगे।
 - b. यदि जांच की रिपोर्ट निगेटिव आती है तो वे 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन का पालन करेंगे। ऐसे यात्रियों की भारत आगमन के 8वें दिन आरटी-पीसीआर द्वारा पुनः जांच की जायेगी।
 - c. यात्री भारत आगमन के 8 वें दिन की गई आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
 - d. यदि यात्री की रिपोर्ट नेगेटिव है, तो वे अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे।
 - e. यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनके सैम्पल्स को WGS हेतु INSACOG लैब नेटवर्क में प्रेषित किया जाए।
 - f. ऐसे पॉजिटिव यात्रियों का उपचार तथा आइसोलेशन निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाए।
 - g. ऐसे पॉजिटिव प्रकरणों के संपर्कों की निगरानी होम क्वारंटाइन में प्रोटोकॉल अनुसार किया जाए।
- xxi. उपरोक्तानुसार पैरा (iii) और (iv) में वर्णित देशों को छोड़कर देशों के यात्री, नीचे दिए गए प्रोटोकॉल का पालन करेंगे:-
 - a. अन्य देशों से आने वाले 2% Random यात्रियों की आगमन हवाई अड्डे पर जांच की जायेगी।

- b. ऐसे 2% Random यात्रियों का चिन्हांकन एयरलाइन द्वारा किया जाएगा। भिन्न-भिन्न देशों से आने वाले यात्रियों का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाए।
- c. प्रयोगशालाओं द्वारा ऐसे यात्रियों के सैम्पल्स के परीक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी।
- d. ऐसे सभी यात्री जो Random चयन उपरांत टेस्टिंग में नेगेटिव पाये जाते है। वे सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहेंगे तथा भारत आगमन के 8वें दिन आर. टी.पी.सी.आर. जांच करायेगे।
- e. सभी यात्री 8वें दिन रिपिट कोविड-19 आरटी-पीसीआर परीक्षण के परिणाम एयर सुविधा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।
- f. आर.टी.पी.सी.आर. रिपोर्ट निगेटिव होने पर अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे।
- g. यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनके सैम्पल्स को WGS हेतु INSACOG लैब नेटवर्क में प्रेषित किया जाए।
- h. ऐसे पॉजिटिव यात्रियों का उपचार तथा आइसोलेशन निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाए।
- xxii. होम क्वारंटाइन या स्व—स्वास्थ्य निगरानी के अन्तर्गत यात्री को कोविड—19 के कोई लक्षण पाये जाते है या वह कोविड—19 के लक्षण को अनुभव करता है तो यात्री को अपने निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में कोविड—19 टेस्ट करवाना चाहिए। (1075)/राज्य पर कॉल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- xxiii. 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद के परीक्षण दोनों से छूट दी गई है। हालांकि, यदि आगमन पर या होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान कोविड—19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो उनका परीक्षण किया जाएगा और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उनका उपचार किया जाएगा।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी अंर्तराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन एवं कोविड—19 के संक्रमण को रोकथाम हेतु पुनरीक्षित दिशा—निर्देश का परिपालन तथा अंर्तराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन संबंधी आवश्यक जानकारी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(डॉ. सुदाम खांडे) स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.

पृ.क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2022 /

भोपाल, दिनांक:-/02/2022

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ।

- 1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र.।
- 2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
- 3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.।
- 4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एन.एच.एम.) भोपाल, म.प्र.।
- 5. एयर पोर्ट प्राधिकरण अधिकारी मध्यप्रदेश।
- 6. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
- 7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
- 8. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
- 9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

11

स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.

पृ.क. / आई.डी.एस.पी. / 2022 / 163

भोपाल, दिनांक:-/01/2022 03. 02. 2022.

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ।

- 1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र.।
- 2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
- 3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.।
- 4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एन.एच.एम.) भोपाल, म.प्र.।
- 5. एयर पोर्ट प्राधिकरण अधिकारी मध्यप्रदेश।
- 6. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
- 7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
- 8. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
- 9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.

Government of India Ministry of Health and Family Welfare

Guidelines for International Arrivals (in supersession of all guidelines issued on the subject on and after 7th January 2022)

Introduction

The global and Indian growth trajectory of COVID-19 pandemic continues with regional variations. The need to monitor the continuously changing nature of virus and evolution of SARS-CoV-2 variants of concern (VOCs) thus, must still remain in focus. The extant guidelines for international arrivals in India continue being formulated taking a risk-based approach. In the meantime, in view of the changed scenario and new guidelines issued by MOHFW; including on Home Isolation, the existing guidelines necessitate a revision.

Scope

This document provides protocols to be complied by international travellers as well as those to be followed by airlines and all points of entry (airports, seaports and land border).

This Standard Operating Procedure shall be valid w.e.f. 22nd January 2022 (00.01 Hrs IST) till further orders. Based on the risk assessment, this document shall be reviewed from time to time.

A.1. Planning for Travel

- i. All travellers should
 - Submit complete and factual information in self-declaration form on the online Air Suvidha portal (https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration)
 before the scheduled travel, including last 14 days travel details.
 - b. Upload a negative COVID-19 RT-PCR report*. The test should have been conducted within 72 hrs prior to undertaking the journey.
 - c. Each passenger shall also submit a declaration with respect to authenticity of the report and will be liable for criminal prosecution, if found otherwise.
- ii. They should also give an undertaking on the portal or otherwise to Ministry of Civil Aviation, Government of India, through concerned airlines before they are allowed to undertake the journey that they would abide by the decision of the appropriate government authority to undergo home/institutional quarantine/ self-health monitoring, as warranted.
- iii. Continuing with the earlier approach, travellers from certain specified Countries (based on epidemiological situation of COVID-19 in those Countries) are identified for additional follow up. These include need for additional measures as detailed in para (xviii) below. The listing of such specified Countries is a dynamic exercise based on evolving situation of COVID-19 across the world and will be made available on the websites of Ministry of Health & Family Welfare, (mohfw.gov.in) and the link of the same will be available at website of Ministry of External Affairs and Air Suvidha Portal.
- iv. All travellers who need to undertake testing on arrival, should preferably pre-book the test online on Air Suvidha Portal, to facilitate timely testing.

A.2. Before Boarding

- v. Passengers originating or transiting from at-risk countries shall be informed by the airlines that they will undergo post arrival testing, quarantine if tested negative, stringent isolation protocols if tested positive etc. as mentioned in para (xviii).
- vi. Do's and Don'ts shall be provided along with ticket to the travellers by the airlines/agencies concerned.
- vii. Airlines to allow boarding by only those passengers who have filled in all the information in the Self Declaration Form on the Air Suvidha portal and uploaded the negative RT-PCR test report.
- viii. At the time of boarding the flight, only asymptomatic travellers will be allowed to board after thermal screening.
- ix. All passengers shall be advised to download Aarogya Setu app on their mobile devices.

A.3. During Travel

- x. In-flight announcement about COVID-19 including precautionary measures to be followed shall be made at airports and in flights and during transit.
- xi. During in-flight crew shall ensure that COVID appropriate behaviour is followed at all times.
- xii. If any passenger reports symptoms of COVID-19 during flight, he/she shall be isolated as per protocol.
- xiii. Proper in-flight announcements should be made by the airlines regarding the testing requirements and people who need to undergo such testing to avoid any congestion at the arrival airports.

A.4. On arrival

- xiv. De-boarding should be done ensuring physical distancing.
- xv. Thermal screening would be carried out in respect of all the passengers by the health officials present at the airport. The self-declaration form filled online shall be shown to the airport health staff.
- xvi. The passengers found to be symptomatic during screening shall be immediately isolated and taken to medical facility as per health protocol. If tested positive, their contacts shall be identified and managed as per laid down protocol#.
- xvii. **Travellers from specified Countries at risk** [as mentioned in para (iii) and (iv) above] will follow the protocol as detailed below:
 - Submission of sample for post-arrival COVID-19 test* at the point of arrival (self-paid). Such travellers will be required to wait for their test results at the arrival airport before leaving or taking a connecting flight.
 - If tested negative they will follow, home quarantine for 7 days and shall undertake RT-PCR test on the 8th day of arrival in India*.
 - Travelers shall also be required to upload results of repeat RT-PCR test for COVID-19 done on 8th day on Air Suvidha portal (to be monitored by the respective States/UTs).
 - If negative, they will further self-monitor their health for next 7 days.
 - However, if such travellers are tested positive, their samples should be further sent for genomic testing at INSACOG laboratory network.
 - They shall be treated/isolated as per laid down standard protocol.
 - The contacts of such positive case should be kept under home quarantine monitored strictly by the concerned State Government as per laid down protocol.

- xviii. **Travellers from Countries excluding those in referred to in para (iii) and (iv) above**, will follow the protocol as below:
 - a. A sub-section (2% of the total flight passengers) shall undergo post-arrival testing at random at the airport on arrival.
 - b. These 2% of such travellers in each flight shall be identified by the concerned airlines (preferably from different countries).
 - c. Laboratories shall prioritize testing of samples from such travellers.
 - d. All travellers (including those 2% who were selected for random testing on arrival and were found negative) will undergo home quarantine for 7 days and shall undertake RT-PCR test on the 8th day of arrival in India*.
 - e. Travelers shall also be required to upload results of repeat RT-PCR test for COVID-19 done on 8th day on Air Suvidha portal (to be monitored by the respective States/UTs).
 - f. If negative, they will further self-monitor their health for next 7 days.
 - g. However, if such travellers are tested positive, their samples should be further sent for genomic testing at INSACOG laboratory network.
 - h. They shall be treated/isolated as per laid down standard protocol.
- xix. If travellers under home quarantine or self-health monitoring, develop signs and symptoms suggestive of COVID-19 or test positive for COVID-19 on re-testing, they will immediately self-isolate and report to their nearest health facility or call National helpline number (1075)/ State Helpline Number.

International travellers arriving at seaports/land ports

- xx. International travellers arriving through seaports/land ports will also have to undergo the same protocol as above, except that facility for online registration is not available for such passengers currently.
- xxi. Such travellers shall submit the self-declaration form to the concerned authorities of Government of India at seaports/land ports on arrival.
- * Children under 5 years of age are exempted from both pre- and post-arrival testing. However, if found symptomatic for COVID-19 on arrival or during home quarantine period, they shall undergo testing and treated as per laid down protocol.

Contacts of the suspect case are the co-passengers seated in the same row, 3 rows in front and 3 rows behind along with identified Cabin Crew. Also, all the community contacts of those travellers who have tested positive (during home quarantine period) would be subjected to quarantine for 14 days and tested as per ICMR protocol.